A study in the context of social change and economic status of Muslim women in the developing society of India.

भारत के विकासशील समाज में मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन एवं उनके आर्थिक स्थिति के परिपेक्ष्य में एक अध्ययन।

मुख्य शब्द– सामाजिक परिवर्तन, शैक्षणिक स्थिति, चुनौतियाँ, वर्तमान परिपेक्ष्य में मुस्लिम महिलायें, आर्थिक, मुख्य धारा, दयनीय स्थिति

शोध निर्देशक ***शैलेन्द्र सिंह यादव डॉ0 दुष्यन्त कुमार*** शोध छात्र (विधि)
भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में शोद्यार्थी द्वारा भारत की विकासशील समाज में इस्लाम के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में मुस्लिम समाज की महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक स्थिति की स्थिति को जानने का प्रयास किया है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लगभग सभी मानव समाज पुरूष प्रधान है। पुरूष सक्रिय हिस्सा है और महिलायें समाज में निष्क्रिय हिस्सा है। कई दशकों से मुस्लिम महिलायें इस्लामी कानून में लैंगिक समानता के लिये संघर्ष कर रही है जो निकाह, तलाक और सम्पत्ति के अधिकारों से सम्बन्धित अधिकारों की देख रेख करता है। इस पत्र का उद्देश्य मूल में मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक परिवर्तन एवं उनकी आर्थिक स्थिति का एक वास्तविक विवरण और संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रदान करना है।

प्रस्तावनाः

भारत की विकासशील समाज में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति न तो कोई नया मुद्दा है और न ही यह पूरी तरह से सुलझा हुआ है। विश्व के विभिन्न मानव समाजों में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भिन्न–भिन्न है। चाहे वह विकसित हो, विकासशील हो
या, विकसित समाजों में, मुस्लिम महिलायें एक अद्वितीय स्थिति में रहती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस्लाम को यदि मुल्यांकित किया जाये तो इस्लाम में महिलाओं व पुरूष दोनों ही समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते है। इस्लाम में सामाजिक व धार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुये महिला एवं पुरूष दोनों का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय आबादी के लगभग 22 प्रतिशत आबादी मुस्लिमों की है तथा इसमें भी लगभग आधी आबादी मुस्लिम महिलाओं की है। कहा जाता है कि आधी आबादी किसी देश के विकास, सामाजिक परिवर्तन में अपना अद्वितीय योगदान देती है। आज भारत के आधुनिक समाज में एक महिला का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु जब उनका विकास रूकता है तो पूरे समाज का विकास
रूकता है। ऐसा इसलिये क्योंकि महिलाओं की प्रस्थिति को लेकर सिद्धान्त और व्यवहार के बीच एक बड़ा अन्तर देखने को मिलता है खासकर मुस्लिम समाज की महिलाओं पर। मुस्लिम समाज में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा धर्माधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को केवल पुरूषों की वासना पूर्ति का एक साधन मात्र समझा जाता रहा है। एक हदीस में वर्णत है– ***"शौहर अपने घरवालों की देखरेख करने वाला है और उसकी बीबी अपने शौहर के घर और उसकी संतानों की तुममें से हर एक से उन लोगों के बारें में पूछताछ होगी जो उसकी देखरेख में दिये हैं।***

आज मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ना–लिखना प्रारम्भ कर दिया है यद्यपि शिक्षा की गति अभी बहुत धीमी है मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान समुचित रूप में जब ही सम्भव हो पायेगा जब उन्हे पुरूषों के बराबर समानता के अधिकार मिले यहाँ यह उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिम समाज की महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य महसूस की जा रही है जो चिन्ता का विषय है। देश की मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक उत्थान हेतु जन जागरण, शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं सरकार द्वारा स्वयं उन्हे देश की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सम्भावित प्रयत्न करने होगें। हालांकि सरकारों द्वारा अथक प्रयास से मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में तथा उनमें आर्थिक रूप में काफी परिवर्तन हो रहे हैं।

(1) सामाजिक परिवर्तनः– प्राचीन काल से ही हमारे देश में महिलाओं को आदर भाव से देखा जाता रहा है और आज भी उनको समाज में विशेष दर्जा प्राप्त है किन्तु इस्लाम में पहले से ही महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय रही है परन्तु मोहम्मद साहब के आगमन के पश्चात ् से ही महिलाओं की किस्मत का सितारा चमक उठा। परिवार एवं मुस्लिम समाज में महिलाओं को आदर भाव से देखा जाने लगा है। कुरान के शब्दों के अनुसार स्त्री–पुरूष का लिबास है। स्त्री के बिना पुरूष अधूरा है। मोहम्मद साहब के काल से ही मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अद्वितीय परिवर्तन हुयें। अतः कहा जा सकता है कि भारत में धर्म के आधार पर सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम समाज है। देश की सबसे बड़े अल्पसंख्य समुदाय की महिलायें क्यों पिछड रही है वो पिछड़ापन जो प्रत्येक क्षेत्र में ही स्पष्ट दिखलाई देता है जिसका मूल कारण शिक्षा रहा है। ऐसा नही है कि विभिन्न सरकारों, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं N.G.O. ने उनके उत्थान में रूचि नहीं ली ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि मुस्लिम महिलायें अपनी सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, बहु विवाह, तीन तलाक आदि रूढिवादी विचारों में जकड़ी हुई हैं।

सच्चर रिपोर्टः– सच्चर कमेटी या सच्चर समिति मार्च 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित भारत में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति थी। भारत में मुस्लमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश राजिन्दर सच्चर ने की थी। 2006 में राजेन्द्र सच्चर समिति की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौपी गई थी। इस समिति ने अपनी प्रतिवेदन में कहा कि विकास मानको की दृष्टि से देश में मुस्लिम समुदाय अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है उसमें भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तो बद्तर दयनीय है जिसका मुख्य कारण उच्च कोटि की शिक्षा, स्कूली शिक्षा व प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उनका अग्रिम स्थान नगण्य होना।

मुस्लिम परिवारों में स्त्री शिक्षा एवं विकास के प्रति बहुत अधिक चेतना नहीं है। अधिकांश अपने घर की लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा तक पढ़ाने को लेकर ही सचेत है, स्त्रियों के प्रति इनकी जो रूढ़िगत धारणायें है, वे इनको उच्च शिक्षा तथा राजनीति एवं आर्थिक प्रगति के लिये प्रेरित नहीं करती। अतः अशिक्षित महिलायें समाज की व्यवहारिता को समझ नही पाती। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मुस्लिम महिला साक्षरता दर 53.7 फीसदी है। इनमें से भी अधिकांश महिलायें केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित हैं। 7 से 16 आयु वर्ग की स्कूल जाने वाली लड़कियों की साक्षरता दर केवल 3.11 फीसदी है, शहरी इलाकों में साक्षरता दर 4.3 फीसदी है और ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर 2.26 फीसदी लड़कियाँ ही स्कूल पहुँच पाती है। प्राइमरी से जूनियर विद्यालयों तक पहुँचते ही इनकी उपस्थिति लगातार घटने लगती है, सरकार भी मुस्लिम शिक्षण संस्थानों की ओर प्रर्याप्त ज्ञान नहीं दे पाती है। मुस्लिम परिवारों में पर्दा प्रथा ओर कम उम्र में शादी कर देना भी इनका अशिक्षित होने का कारण है। मुस्लिम महिला का शोषण दोनों (आन्तरिक व बाह्य) स्तर पर होता है। मुस्लिम पुरूष अधिकांशता इस्लाम की दुहाई देकर अपने घर की महिलाओं को दबाते हैं।

आज के विकासशील समाज में मुस्लिम स्त्रियाँ साहित्य, राजनीति, कविता कला, चिकित्सा शिक्षा, विज्ञान, कम्प्यूटर क्षेत्र में अपना स्थान बना रही है जबकि कुछ कट्टरपंथी मौलवियों ने स्त्री के लिये धार्मिक शिक्षा को ही उचित ठहराया है। पित्सत्तात्मक मुस्लिम समाज कही न कही अपने अस्तित्व को लेकर डरा हुआ है। चूँकि वह स्त्री से अपने आप को नीचे नही देख सकता इसलिये

उसने अपने आपको बचाने और अपना दबदबा स्त्रियों पर कायम रखने के लिये धर्म का सहारा लिया। मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथी ने धर्म का सहारा लेकर स्त्रियों की शिक्षा तथा विकास का अधिकार छीन लिया है। इसका विरोध करते हुये जोया हसन लिखती है कि *''मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में आगे न बढ़ने का तथा शिक्षा प्राप्त न करने का मूल कारण गरीबी है। मुस्लिम औरतों के शैक्षिक स्तर में कुछ हद तक सुधार हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना कि जनसंख्या के हिसाब से उनकी संख्या है उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक स्थिति का निम्न होना है धर्म और पर्दा उतना बड़ा कारण नही। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नजर अंदाज कर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को ठीक से नहीं समझा जा सकता।*

मुस्लिम महिलाओं की स्थिति की विवेचना करने के लिये शाहिदा लतीफ अपनी पुस्तक– ***''मुस्लिम वीमेन इन इण्डिया पोलिटिकल एण्ड प्राइवेट रियलिटी''*** में 20वीं शताब्दी में आये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की भूमिका के रूप में देखती है। पर्दा और महिला को घर की चार दीवारी में बंद रखने का रिवाज दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत में अधिक था। इसी प्रकार बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा इस वर्गो और क्षेत्रों में अधिक प्रचलित थी। लेकिन कुछ भूमिकायें पूरे समाज में केवल स्त्रियाँ ही निभाती थी। एक परिभाषित रोल माडल जिस पर हर स्त्री को खरा उतरना होता था। इस रोल मॉडल से मुस्लिम महिलायें अछूती नही थी। हालांकि सैद्धान्तिक रूप से उन्हे सम्पत्ति, तलाक, पुनर्विवाह, तलाक के समय मेहर का अधिकार था परन्तु व्रूवहार में इन अधिकारों सम्बन्धी कुरान के नियमों को लागू नहीं किया जाता था। फिर भी जहाँ तक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है, सैद्धान्तिक रूप से उन्हे अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त है जो स्वतन्त्रता से पहले तक हिन्दु स्त्रियों को भी प्राप्त नहीं थे। विवाह के लिये लड़की का स्वतन्त्र सहमति, मेहर की राशि का निर्धारण तथा मुस्लिम महिला को मिलने वाले सम्पत्ति अधिकार इस दिशा को स्पष्ट करते हैं।

(2) आर्थिक स्थितिः–

किसी भी अन्य देश की महिलाओं के सम्मान, भारतीय मुस्लिम महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार ग्रेड क्वाइट्स और प्रगतिशील ताकतों को जोड़ने वाले स्थायी संघर्ष से विकसित हुये है। भारतीय मुस्लिम महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार के मामले में पुरूषों की तुलना में हमेशा कम अधिकार मिलते थे।

(क) सम्पत्ति का अधिकार– जैसा कि हम जानते है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने मुस्लिम महिलाओं ने अपने सम्पत्ति अधिकारों को न तो शियाओं और न ही सुन्नियों को संहिताबद्ध किया है कुरान की विचारधारा का मकसद मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें आर्थिक रूप से सक्षम या अपनी निजी सम्पत्ति रखने वाली एक महिला को अपने परिवार और समाज में सामान्य रूप से अधिक सम्मान मिलता है। इसलिये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के सम्बन्ध में इस्लाम के कानून अत्यधिक प्रगतिशील और क्रांतिकारी है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ0 जफरूल इस्लाम खान मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय के लिये मुसलमानों में इस्लामी ज्ञान की कमी मानते है, इस्लाम के प्रति अज्ञानता महिलाओं को माता–पिता के सम्पत्ति या विरासत में हिस्सा लेने से रोकती है। मुस्लिम समाज में अक्सर महिलाओं को डराया जाता है और इमोशनल
ब्लेकमैल करके अपनी सम्पत्ति भाईयों को सौपनें के लिये मजबूर किया जाता है। यहाँ तक की कुछ संस्कृतियों में तो महिलाओं को अपने भाईयों से विरासत में मिली सम्पत्ति के बारे में पूछना तक भी शर्मनाक माना जाता है।

(ख) पिता की सम्पत्ति का अधिकारः– इस्लाम में पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी अधिकार दिया गया है। लड़के को 60 प्रतिशत व लड़की को 40 प्रतिशत हिस्सा देने का अधिकार है। अहमदाबाद स्थिति ***वकील ताहिर हकीम,*** जो गुजरात उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करते है और आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य भी है; वो कहते है *''मुश्किल से दो से चार*

प्रतिशत मुस्लिम माता–पिता अपनी बेटियों को कुरान के कानूनों के अनुसार पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्सा देते है।'' इसके अलग–अलग कारण है, आमतौर पर माता–पिता बेटी की शादी और दहेज पर होने वाले खर्चे को विरासत का हिस्सा मानते है, इसलिये वे अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं। आर्थिक स्कॉलर या उलेमा भी अक्सर अपनी बेटियों और बहनों को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार देने से बचते है, यह बहुत दुखद स्थिति है

(ग) मैहर का अधिकारः–

महिलाओं का सशक्तिकरण मैहर को मूल रूप से एक उपहार के रूप में कहा जाता है जो एक मुस्लिम पति से उसकी पत्नी के लिये निकाह पर उसकी ईमानदारी और उसके लिये प्यार के प्रतीक के रूप में प्रशंसा के प्रतीक के रूप में बनता है।स्त्रियों को निकाह के समय मैहर बंधानी होती है जो कि पुरूष की आमदनी के अनुसार होती है उस पर सिर्फ महिला का अधिकार होता है। पत्नी की स्वीकृति के आधार पर मैहर का विषय धन या कोई अन्य मूल्य हो सकता है। माह–घंटे के रूप में दी गई इकाई या सम्पत्ति पर अधिकार विशेष रूप से महिलाओं के पास होता है। इसके अलावा, मुस्लिम पत्नी को मैहर हर सम्पत्ति के पूर्ण स्वामित्व का पुरस्कार महिलाओं को एक निष्पक्ष वैवाहिक स्थिति की गारंटी देने के लिये सम्पत्ति के अधिकार के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा अपनाये गये सक्रिय उपाय को दर्शाता है। इसलिये, विवाहित मुस्लिम महिलायें जो कभी विवाह की स्थिति से वंचित रही है, उनके पास ऐसे सम्पत्ति अधिकार है जो पूरी तरह से उनके सम्पत्ति अधिकारों में निहित है। मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक उत्थान हेतु जन जागरण, शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं स्वयं उन्हे देश के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सभी को सम्भावित प्रयास करने होगे और उनके जीवन में सामाजिक व आर्थिक स्तर में तीव्र परिवर्तन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सुझावः–

1. मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में विकास का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।
2. मुस्लिम महिलाओं को तार्किक वैज्ञानिक एवं रोजगारपरक शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिये।
3. केन्द्र व राज्य की सरकारों को विशेष शिविरों का आयोजन कर मुस्लिम महिलाओं के उनके आर्थिक शैक्षणिक स्तर को उठाना चाहिये।
4. आज भी मुस्लिम महिलाओं हेतु मस्जिदों में प्रवेश निषेध है। करना यह गैर कानूनी घोषित करना चाहिये।
5. मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ संशोधन किया जाना समाज की महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है।

निष्कर्षः

आधुनिक दौर में मुस्लिम महिलायें बदलते समय के साथ–साथ उपभोक्तावादी समाज का हिस्सा बन रही है। मुस्लिम महिलायें तमाम धार्मिक व सामाजिक दबाव के बावजूद पुरूष के समान सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है, मुस्लिम समाज की महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक

क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इस कसौटी में हम भले ही शतप्रतिशत न उतरे हो किन्तु महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है। आज की मुस्लिम महिला भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वावलम्बी बनने को अग्रसर है। वह पुरूषों से कंधा से कंधा मिलाकर आज देश की आर्थिक गतिविधियों में अपनी

भागीदारी प्रदर्शित कर रही है। आज मुस्लिम महिलाओं की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में प्रगतिशील तो है किन्तु अभी हम लक्ष्य से बहुत दूर है, मीलों चलना है। लिखित में तो बहुत कानून है किन्तु वास्तविकता के धरातल पर उनको अधिकार नहीं मिल रहे है। मुस्लिम समाज की महिलाओं के

जीवन स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया रूढिवादी बनी हुई है जिससे मुस्लिम समाज की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की गति बहुत धीमी है।

सन्दर्भ सूची:–

1. शहिदा लातिफ– मुस्लिम वुमैन इन इण्डिया पालिटिकल एण्ड नई दिल्ली।
2. अमर उजाला– 08 अक्टूबर 2016 (इलाहाबाद संस्करण)
3. हदीस– सहीह मुस्लिम
4. जोया हसन ''हंस'', भारतीय मुसलमान, अगस्त 2013
5. पवित्र कुरान 2:187
6. रशीदी, यासमीन, मेरे मुल्क में औरत का कोई नाम नही, द वायर, 2019
7. शहीद मुर्तजा– इस्लाम में नारी का अधिकार।
8. **पुस्तके–**

1. अकल अहमद एवं डॉ0 इकबाल : मुस्लिम विधि (इक्कीसवाँ संस्करण) अली खां सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 30 डी/1 मोती लाल नेहरू रोड़, इलाहाबाद
2. डॉ0 बसन्ती लाल बावेल : विधि एवं सामाजिक परिवर्तन (चतुर्थ संस्करण) सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, 107 दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद
3. डॉ0 ना0वि0 परांजये : दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 30–डी/1 मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद
4. श्री आशीष कुमार शुक्ला : भरण–पोषण का अधिकार (सी0आर0पी0सी0) की धारा 125 के संदर्भ में (लघु शोध ग्रन्थ)
5. डॉ0 आर0के0 सिन्हा : मुस्लिम विधि (षष्ठम् संस्करण) 2009 सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 30 डी/1, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद

6. भट्टी–जरीना : स्टेटस ऑफ मुस्लिम वुमेन एण्ड सोशल चेन्ज (1990) न्यू देहली रेडियन्ट पब्लिशर्स

7. अली–सुभाषिनी : लेख (कितनी बदली भारतीय नारी) दैनिक जागरण में प्रकाशित (दिनांक 31 जनवरी 2002)